दैनिक सवेरा टाइम्स
अंधेरे से उजाले की ओर...

हिमाचल के स्कूलों में अब अनिवार्य होगी डिजिटल कुंडली

31 अगस्त तक पीईएन और अपार बनाना जरूरी, बिना आईडी के नहीं होगा विद्यार्थियों का पंजीकरण

सवेरा न्यूज़/यशपाल सिंह

धर्मशाला,17 अप्रैल : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अब हर विद्यार्थी की अपनी एक विशिष्ट डिजिटल पहचान होगी, जिसे परमानेंट एजुकेशन नंबर (पीईएन)और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री(अपार) के नाम से जाना जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण करना है।

बोर्ड ने सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी 31 अगस्त 2026 तक इस कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा के अनुसार परमानेंट एजुकेशन नंबर 11 से 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। यह संख्या विद्यार्थी की पूरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान एक समान रहेगी, जिससे उनकी प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा। वहीं अपार आईडी के माध्यम से छात्रों के प्रमाण पत्रों का केंद्रीकृत संग्रहण और डिजिटल सत्यापन संभव हो सकेगा, जिससे भविष्य में कॉलेज प्रवेश या नौकरी के समय कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगा। यह व्यवस्था न केवल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगी, बल्कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया को भी पारदर्शी और सरल बनाएगी।

किसी विद्यालय ने निर्धारित समय के भीतर अपने छात्रों के लिए ये आईडी जनरेट नहीं कीं, तो आगामी शैक्षणिक सत्र में उनका पंजीकरण संभव नहीं हो पाएगा। कई स्कूलों द्वारा इस कार्य में ढिलाई बरती जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। 31 अगस्त के बाद होने वाली किसी भी असुविधा या पंजीकरण रुकने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा। बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर लें ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य बाधित न हो।

(डा. राजेश शर्मा, चेयरमैन प्रदेश स्कूल बोर्ड)

epaper.dainiks

Sat, 18 April 2026
epaper.dainiksaveratimes.in/c/79657307

Dainik Jagran 18-04-2026

डा. राजेश बोले, हर विद्यार्थी की होगी डिजिटल पहचान

- 31 अगस्त तक पैन और अपार आइडी बनाना जरूरी
- इनके बिना नहीं होगा विद्यार्थियों का पंजीकरण

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि अब हर विद्यार्थी की अपनी डिजिटल पहचान होगी, जिसे पैन (स्थायी शिक्षा संख्या) और अपार आइडी (स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री) के नाम से जाना जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण करना है। बोर्ड ने सभी शिक्षण संस्थानों के लिए 31 अगस्त तक इस कार्य को पूरा करने का समय निर्धारित किया है।

डा. राजेश शर्मा के अनुसार, पैन 11 से 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो यूडीआइएसई प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट की जाती है। यह संख्या विद्यार्थी की पूरी पढ़ाई के दौरान समान रहेगी, जिससे उसकी प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा। अपार आइडी के माध्यम से छात्रों के प्रमाणपत्रों का केंद्रीकृत संग्रहण और डिजिटल सत्यापन संभव हो सकेगा, जिससे भविष्य में कालेज प्रवेश या नौकरी के समय कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगा। यह व्यवस्था न केवल रिकार्ड को सुरक्षित रखेगी, बल्कि प्रवेश प्रक्रिया को भी पारदर्शी व सरल बनाएगी।

उन्होंने चेताया कि यदि किसी स्कूल ने निर्धारित समय में अपने छात्रों के लिए ये आइडी जनरेट नहीं कीं तो आगामी शैक्षणिक सत्र में उनका पंजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कई स्कूल इस कार्य में ढिलाई बरत रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर लें ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य बाधित न हो। विद्यार्थियों का पंजीकरण न होने पर स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।

Amar Ujala 18-04-2026

स्कूलों को 31 अगस्त तक बनानी होगी छात्रों की 'डिजिटल कुंडली'

शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अब हर विद्यार्थी की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान होगी, जिसे पैन (परमानेंट एजुकेशन नंबर) और अपार आईडी के नाम से जाना जाएगा।

कहा- स्कूल इस प्रक्रिया में न बरतें ढिलाई

बोर्ड ने सभी शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त, 2026 तक इस कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की है। डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि पैन 11 से 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है, जो यूडाइज प्लस पोर्टल के जरिये जनरेट होगी। यह संख्या छात्र की पूरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान समान रहेगी। वहीं, अपार आईडी के माध्यम से प्रमाण पत्रों का डिजिटल सत्यापन और केंद्रीकृत संग्रहण संभव हो सकेगा।

बोर्ड अध्यक्ष ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि स्कूलों ने तय समय के भीतर ये आईडी जनरेट नहीं की, तो आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रों का पंजीकरण नहीं हो पाएगा।

उन्होंने कहा कि कई स्कूलों द्वारा इस कार्य में ढिलाई बरती जा रही है, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। 31 अगस्त के बाद पंजीकरण रुकने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा।

Divya Himachal 18-04-2026

31 अगस्त तक बनवाएं अपार आईडी

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के सख्त निर्देश, स्कूली छात्रों का डाटा होगा डिजिटल

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अब हर विद्यार्थी की अपनी एक विशिष्ट डिजिटल पहचान होगी, जिसे पेन (परामानेंट एजुकेशन नंबर) और अपार आईडी (ओटोमेटिड परमानेंट एकेडिमिक अकाउंट रजिस्टर) के नाम से जाना जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण करना है। बोर्ड ने सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी 31 अगस्त 2026 तक इस कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की है। डा. शर्मा के अनुसार, पीईएन पेन एक 11 से 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो यूडीआईएसई-प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट की जाती है। यह संख्या विद्यार्थी की पूरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान एक समान रहेगी, जिससे उनकी प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा।

प्रधानाचार्यों को आदेश जारी

बोर्ड अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यालय ने निर्धारित समय के भीतर अपने छात्रों के लिए ये आईडी जनरेट नहीं कीं, तो आगामी शैक्षणिक सत्र में उनका पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों द्वारा इस कार्य में ढिलाई बरती जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। 31 अगस्त के बाद होने वाली किसी भी असुविधा या पंजीकरण रुकने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा। बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर लें, जिससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य बाधित न हो।

- तय सीमा तक आईडी जनरेट नहीं की, तो शैक्षणिक सत्र में नहीं होगा पंजीकरण

कालेज से नौकरी तक नहीं होगा कागजी बोझ

अपार आईडी के माध्यम से छात्रों के प्रमाण पत्रों का केंद्रीकृत संग्रहण (सेंटरलाईजड स्टोरेज) और डिजिटल सत्यापन संभव हो सकेगा, जिससे भविष्य में कालेज प्रवेश या नौकरी के समय कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगा। यह व्यवस्था न केवल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगी, बल्कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया को भी पारदर्शी और सरल बनाएगी।

Anant Gyan 18-04-2026

हिमाचल के स्कूलों में अनिवार्य होगी डिजिटल कुंडली: डॉ. राजेश

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अब हर विद्यार्थी की अपनी एक विशिष्ट डिजिटल पहचान होगी, जिसे परमानेंट एजुकेशन नंबर (पेन) और आटोमेटेड परमापेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्टरी (अपार)आईडी के नाम से जाना जाएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण करना है। बोर्ड ने सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी 31 अगस्त 2026 तक इस कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की है।

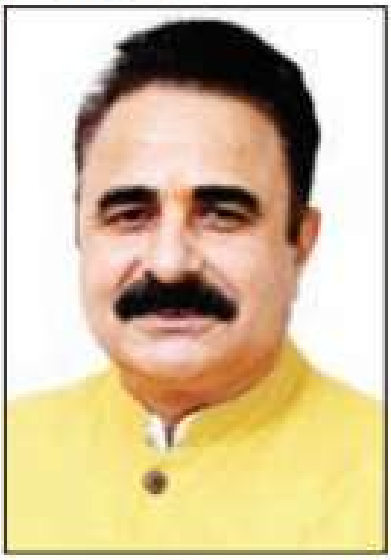

डॉ. शर्मा के अनुसार, पेन एक 11 से 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो यूडाइज+ पोर्टल के माध्यम से जनरेट की जाती है। यह संख्या विद्यार्थी की पूरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान एक समान रहेगी, जिससे उनकी प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा। वहीं,अपार आईडी के माध्यम से छात्रों के प्रमाण पत्रों का केंद्रीकृत संग्रहण और डिजिटल सत्यापन संभव हो सकेगा, जिससे भविष्य में कॉलेज प्रवेश या नौकरी के समय कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगा। यह व्यवस्था न केवल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगी, बल्कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया को भी पारदर्शी और सरल बनाएगी।

बोर्ड अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यालय ने निर्धारित समय के भीतर अपने छात्रों के लिए ये आईडी जनरेट नहीं कीं, तो आगामी शैक्षणिक सत्र में उनका पंजीकरण संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों द्वारा इस कार्य में ढिलाई बरती जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। 31 अगस्त के बाद होने वाली किसी भी असुविधा या पंजीकरण रुकने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा। बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर लें ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य बाधित न हो।

Himachal Dastak 18-04-2026

हिमाचल के सभी स्कूलों में अब अनिवार्य होगी डिजिटल कुंडली

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने सरकारी व निजी स्कूलों को दिए निर्देश

हिमाचल दस्तक ■ धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि अब हर विद्यार्थी की अपनी एक विशिष्ट डिजिटल पहचान होगी, जिसे पेन और अपार आईडी के नाम से जाना जाएगा।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण करना है। बोर्ड ने सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी 31 अगस्त तक इस कार्य को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की है। डॉ. शर्मा के अनुसार, पेन एक 11 से 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो यूडाईस पोर्टल के माध्यम से जनरेट की जाती है। यह संख्या विद्यार्थी की पूरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान एक समान रहेगी, जिससे उनकी प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा। वहीं अपार आईडी के माध्यम से छात्रों के प्रमाण पत्रों का केंद्रीकृत संग्रहण और डिजिटल सत्यापन संभव हो सकेगा, जिससे भविष्य में कॉलेज प्रवेश या नौकरी के समय कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगायह व्यवस्था न केवल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेगी, बल्कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया को भी पारदर्शी और सरल बनाएगी।

बोर्ड अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यालय ने निर्धारित समय के भीतर अपने छात्रों के लिए ये आईडी जनरेट नहीं कीं, तो आगामी शैक्षणिक सत्र में उनका पंजीकरण संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों द्वारा इस कार्य में ढिलाई बरती जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। 31 अगस्[illegible]ाद होने वाली किसी भी असुविधा या [illegible]करण रुकने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा। बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर लें ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य बाधित न हो।

हिमाचल के स्कूलों में अब अनिवार्य होगी 'डिजिटल कुंडली', 31 अगस्त तक पहचान संख्या बनाना जरूरी

धर्मशाला, (आपका फैसला)। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अब प्रत्येक विद्यार्थी की एक अलग डिजिटल पहचान अनिवार्य होगी। इसके लिए विद्यार्थियों को स्थायी शिक्षा संख्या (पेन) और अपार पहचान पत्र बनवाना जरूरी होगा। बोर्ड ने सभी शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तय समय के भीतर यह कार्य पूरा न होने पर विद्यार्थियों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। डॉ. शर्मा के अनुसार, पेन एक 11 से 12 अंकों की विशेष संख्या है, जो विद्यार्थी की पूरी पढ़ाई के दौरान समान रहती है। इससे उसकी शैक्षणिक प्रगति को आसानी से देखा और दर्ज किया जा सकता है। वहीं, अपार पहचान पत्र के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र सुरक्षित रूप से एक ही स्थान पर संग्रहीत रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से सत्यापित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से कागजी कार्यवाही कम होगी और भविष्य में कॉलेज में प्रवेश या नौकरी के समय विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी। साथ ही पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कई स्कूल इस कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस कार्य को प्राथमिकता दें। यदि निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार की समस्या आती है या विद्यार्थियों का पंजीकरण रुकता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी।

Digital Profile' Now Mandatory in Himachal Schools

SANJAY AGGARWAL
DHARAMSHALA APR 17 : The Himachal Pradesh Board of School Education has issued strict guidelines for all government and private schools in the state under the New Education Policy (NEP). Board Chairman Dr. Rajesh Sharma has clarified that every student will now possess a unique digital identity, known as a PEN (Permanent Education Number) and an APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry). This initiative by the Ministry of Education, Government of India, aims to achieve the complete digitization of students' academic records. The Board has set a mandatory deadline of August 31, 2026, for all educational institutions to complete this task.According to Dr. Sharma, the PEN is a unique 11 to 12-digit identification number generated through the 'UDISE+' portal. This number will remain constant throughout a student's entire academic journey, making it easier to track their progress. Meanwhile, the APAAR ID will enable the centralized storage and digital verification of students' certificates, thereby reducing the burden of paperwork during future college admissions or job applications. This system will not only safeguard records but also render the entire admission process transparent and streamlined.

The Board Chairman has issued a warning stating that if any school fails to generate these IDs for its students within the stipulated timeframe, their registration for the upcoming academic session will not be possible. He noted that several schools are showing laxity in executing this task, which is unacceptable. In the event of any inconvenience or a halt in registration occurring after August 31, the respective school management will be held solely responsible. The Board has directed all principals to treat this matter as a top priority to ensure that the academic future of the students remains uninterrupted.

HPBOSE: D.El.Ed. संबद्धता के लिए आवेदन शुरू, बोर्ड अध्यक्ष ने 14 मई तक दिया समय

जागो ! कांगड़ा/ राकेश कुमार

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु संबद्धता प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के पात्र निजी शिक्षण संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सत्र में प्रवेश पूरी तरह से 'कॉमन एंट्रेंस टेस्ट' (CET-2026) की मेरिट के आधार पर ही दिया जाएगा और सीटों का आवंटन एनसीटीई (NCTE) द्वारा निर्धारित कड़े मानकों के अनुरूप सुनिश्चित होगा।संबद्धता के लिए पात्रता मानदंडों पर चर्चा करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि केवल वही संस्थान आवेदन के योग्य माने जाएंगे, जिनके पास एनसीटीई से डी.एल.एड. (जेबीटी) संचालन की मान्यता है और जिन्होंने राज्य सरकार या शिक्षा विभाग से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर लिया है। आवेदन करने के इच्छुक संस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म और विस्तृत दिशा-निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करना होगा।प्रक्रिया के वित्तीय और समय संबंधी पहलुओं की जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि संबद्धता हेतु 37,760 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना है। आवेदन के साथ स्टाफ का विवरण, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई 2026 तय की गई है, हालांकि विलंब शुल्क के साथ संस्थान 19 मई 2026 तक भी अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक सहायता के लिए संस्थान सीधे बोर्ड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए दो वर्षीय डी.एल.एड. (D.El.Ed.) पाठ्यक्रम की संबद्धता हेतु पात्र निजी संस्थानों से आवेदन मांगे गए हैं।

अंतिम तिथि
आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 14 मई 2026 तय की गई है।

विलंब शुल्क के साथ मौका
संस्थान अतिरिक्त शुल्क के साथ 19 मई 2026 तक भी आवेदन कर सकते हैं।

डॉ. राजेश शर्मा, बोर्ड अध्यक्ष

प्रवेश का आधार
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस सत्र में प्रवेश पूरी तरह 'कॉमन इंट्रेंस टेस्ट' (CET-2026) की मेरिट के आधार पर ही होगा।

APRIL 18, 2026 SATURDAY DHARAMSHALA

The Sunny Times

EDUCATION REVOLUTION IN HP: 'DIGITAL KUNDLI' TO TRACK EVERY STUDENT'S ACADEMIC JOURNEY

Sunny Mahajan | Dharamshala

The Himachal Pradesh Board of School Education has introduced a significant digital shift for all government and private educational institutions across the state. Under the guidelines of the National Education Policy, every student is now required to have a unique digital identity, often referred to as a Digital Kundli. This identity consists of two primary components: the Permanent Education Number (PEN) and the Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR ID). Dr. Rajesh Sharma, the Chairman of the Education Board, has made it clear that these identification numbers are no longer optional and must be generated for every student by the deadline of August 31, 2026.

This initiative by the Union Ministry of Education aims to fully digitize the academic records of students. The PEN is a unique 11 to 12-digit code generated through the UDISE+ portal that follows a student throughout their entire academic journey, making it much easier to track their progress over time. Meanwhile, the APAAR ID acts as a centralized digital vault for storing and verifying certificates. This system is designed to reduce the need for physical paperwork during college admissions or job applications in the future, making the entire process more transparent and secure.

The board has issued a firm warning to school administrations that have been slow to implement these changes. Schools that fail to generate these IDs within the stipulated timeframe will not be able to register their students for the upcoming academic session. Dr. Sharma emphasized that any delays or registration issues occurring after the August 31 deadline will be the sole responsibility of the school management. Principals across the state have been directed to prioritize this task immediately to ensure that no student faces hurdles in their educational future.